

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

19.9.24

मसत्रावली पेशा हर्ट वकील प्राधीर उपास्थित प्रकरण  
मे तहसीलदार बंगू फोर मल पक्षकार होने से  
जवाब पेशा नही करने से जवाब प्रा पत्र का अपसर  
बन्द किया जाता है मसत्रावली मे वकील वादी की एक  
तरफा बहस सूनी गई प्राधीर का प्रा.पत्र अ.धा. 128  
1 R A का स्वीकार किया जाता है। मौजा अमरपुरा  
प. ह. केरपुरा के खाता सं 74 आ.स. 384/334  
एकना 0.4900 है। कृषि भूमि पंक् खाता सं. 75  
आ.स. 377/334 एकना 0.4900 है। भूमि की  
पत्थर गठी किये जाने हेतु तहसीलदार बंगू को  
2500 रु कमिशनर शुल्क पर कमिशनर नियुक्त  
किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि मौके  
की पत्थर गठी प्राधीर बवियझी गण की उपास्थिति मे  
कि जाकर पत्थर गठी रिपोर्ट पेशा करें। मसत्रावली  
मे अब कोई और शेष कार्यवाही नही होने से मसत्रावली  
जैसल शुमार होकर नग्नर से कम हो।

५५

Adm. 5/21